



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
अयोध्या रीजन, अयोध्या

संख्या :- 24VSNOC01041306 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2023-24

दिनांक: 11/10/2023

Usha Rani Developers Pvt Ltd.
Plot no. 4108, Civil line Ayodhya

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारंभिक निरीक्षण/परीक्षण।
प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2394637 दिनांक

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10/10/2023 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेडेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Genset	Kirloskar care	380 KVA	415 V	LES3S218A221081	1
2	Genset	Crompton Greaves	250 KVA	415 V	WEAG-1401	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 0 किलोवाट।

AKSHAY KUMAR ARYA
उपनिदेशक

संख्या: 24VSNOC01041306वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2023-24, तद्विनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उपप्र० शासन, लखनऊ।
2. सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उपप्र० शासन अयोध्या जोन।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।



AKSHAY KUMAR ARYA
उपनिदेशक

11/10/2023 12:20:48

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.